भारत सरकार

कार्यालय आयकर आयुक्त

47, सी.एच, एरिया, जमशेदपुर- 831001

सं.सं :-आ.आ./जम./80जी-16/तकनीकी/2014-15/ **दिनांक- 08 जुलाई, 2014**

<u>आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5) के अन्तर्गत अनुमोदन आदेश ।</u>

सं.सं :आ.आ./जम./80जी-16/तकनीकी/2014-15..........मेसर्स हेल्थ, वार्ड न.-9, थाना रोड, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(G)(5)(VI) के अन्तर्गत अनुमोदित किया जाता है कि दानकर्ता द्वारा दिये गये दान पर विधिवत छूट जो धारा 80(G)(5)(VI) के अन्तर्गत मान्य होगा, दानकर्ता उसके पात्र होगें, जो निम्नलिखित शर्तों के अधिन होगा।

- यह छूट वित्तीय वर्ष 2014-15 से मान्य होगा ।

(वीर बिरसा एक्का)
आयकर आयुक्त, जमशेदपुर

शर्तें :-

- दानकर्ता को जारी किये गये रसीद में इस आदेश की संख्या तथा तारीख आवश्यक है ।
- आय तथा व्यय के लेखा का विवरण वार्षिक रूप से क्षेत्रीय आयकर अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
- यदि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया गया हो, तो संकल्प की एक प्रति/न्यास संशोधन कागजात के साथ इसकी सूचना इस कार्यालय को तुरन्त दी जानी चाहिए ।
- यदि पुनः कोई नवीकरण अपेक्षित हो तो आय तथा व्यय के विवरण के साथ इस कार्यालय को एक आवेदन दिया जाए ।
- यदि संस्था द्वारा किया गया व्यय एवं क्रिया-कलाप गलत पाया गया या जो संविधान के अनुरूप नहीं हैं, वैसी स्थिति में 80 जी के अंतर्गत प्रदत्त छूट को रद्द किया जा सकता है ।
- यह ज्ञात हो कि अनुदान प्राप्त ट्रस्ट/संस्था को ऐसी गतिविधियों से सम्बन्ध रखना वर्जित है जिसका उद्देश्य राजनीतिक हो या सामाजिक अशांति फैलाने से हो ।

ज्ञापन सं. : आयकर आयुक्त/तकनीकी/जम./80जी-16/2014-15/ 1675-77 **दिनांक- 08 जुलाई, 2014**

- अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-1, जमशेदपुर से अनुरोध है कि सचिव **मेसर्स हेल्थ, वार्ड न.-9, थाना रोड, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम** द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की जाँच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें कि यह धारा 80जी(5) में निहित शर्तों को या इस विषय पर समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों को पूरा करता है
- सहायक आयकर आयुक्त, अंचल-1, जमशेदपुर ।
- आवेदक : सचिव **मेसर्स हेल्थ, वार्ड न.-9, थाना रोड, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम ।**

(रंजीत कुमार लाल)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते : आयकर आयुक्त, जमशेदपुर